

107 द. प्र. स. 0

समाप्त

6: 5: 18

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

उमा देवी
बनाम
कौट्य भगत

M-73/2018 आदेश पत्रक

28/5-1/18

अभिलेख संख्या :- एम. 73 / 2018 धारा :- 107 द. प्र. स.

175-
28/5/18

थाना प्रमाणी उमा देवी के के अपराधिकी संख्या :-

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- पुलिस किसी भी प्रकार का कोई भी बात नहीं सुनने से संबंधित है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द. प्र. स. 107 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 12/6/18 को उपस्थापित करें।

28-5-18
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

1/2/19

उमय पक्ष अनुपस्थित दिनांक
8/2/19 को रखा।

08/02/19

उमय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 15/02/19
को रखा।

15/02/19

उमय पक्ष अनुपस्थित पुन दिनांक
22.2.2019 को रखा।

22/2/19

उमय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 22/2/19 को रखा।

05/3/19

समयावधि समाप्त होने के कारण नए से
समय दिया जाता है।

(R)
05.03.19